



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

सुरेश कुमार बनाम एसडीएम दक्षिण व अन्य

केस संख्या 23 /2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
06.03.2020	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 94/2020 व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020 ब उनवानी संतोष बनाम माणक चन्द व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। पत्रावली दिनांक 07.04.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   जिला कलक्टर  जयपुर </p> <p>10-11-2020 कोविड-19 महामारी होने से दिनांक 07.04.2020 से जनरल नारीख दिये जाने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी ने उल्लेख कराया है कि S D M जयपुर दक्षिण के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री जगत राजेश्वर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य वकील को सुना गया। पत्रावली का अद्य लौकन किया गया। प्रार्थी को जिला पीठासीन अधिकारी से फुंटा थी, उन्का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infuctuous) हो गया है। फलस्वरूप यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">   जिला कलक्टर  जयपुर </p>	